HIGH POWERED ELECTION COMMITTEE
STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH
JABALPUR, (M.P.)

मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव दिनांक 12 मई 2026 के संदर्भ में अपनायी जाने वाली मतदान प्रकिया का संक्षिप्त विवरण।

---

1. **मतदान केन्द्र –**

   राज्य अधिवक्ता परिषद मध्य प्रदेश द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के दिनांक 12 मई 2026 को राज्य अधिवक्ता परिषद के 23 सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान संपन्न किया जायेगा। इस हेतु मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत कार्यरत सभी सिविल न्यायालय एवं सिविल तहसीलों पर मतदान केन्द्र सुनिश्चित किये गये हैं। ऐसे स्थान जहाँ मात्र राजस्व न्यायालय ही कार्यरत है, वहाँ के अधिवक्ताओं के लिये निकटस्थ सिविल तहसीलों को मतदान केन्द्र बनाया गया है जहाँ वे उक्त स्थान विशेष में व्यवसायरत् अधिवक्ताओं के साथ मतदान कर सकेगें। ऐसे स्थान जहाँ पर माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा व्यववहार न्यायाधीशों की लिंक कोर्ट श्रृखंला न्यायालय स्थापित की गई है, उन स्थानों पर मतदान तिथि दिनांक 12.05.2026 पर लिंक कोर्ट कार्यरत रहने पर वहाँ भी मतदान केन्द्र बनाये जाने का प्रावधान है। दिनांक 12 मई 2026 को मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव हेतु मतदान तिथि पर जो लिंक कोर्ट कार्यरत है उस स्थान पर मतदान केन्द्र बनाया गया है।

2. **अधिसूचना –**

   मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव दिनांक 12 मई 2026 हेतु जिन स्थानों को मतदान केन्द्र बनाया गया है, उसमें संबंधित अधिसूचना क्रमाक **SBC/MP/Election2026/50/2026 Dt-28.04.2026** परिषद द्वारा जारी की जा चुकी है। उक्त अधिसूचना में मतदान केन्द्र तथा स्थान विशेष पर मतदान केन्द्रों के साथ संलग्न (Club) किये गये अन्य स्थानों के नाम दर्शित किये गये हैं।

3. **माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र –**

   मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के पिछले चुनाव की भांति माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव हेतु राज्य के विभिन्न स्थानों में पदस्थ न्यायाधीशगणों की सेवाएं, मुख्य मतदान अधिकारी (प्रत्येक जिले के लिये) एवं मतदान अधिकारी (प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये) उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित आग्रह को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है एवं माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जरनल के द्वारा जारी परिपत्र **No. 260/Confdl./2026/II-15-25/95 dated 16th March 2026** के अनुसार मुख्य मतदान अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश के संबंध में **SBC/MP/Election2026/51/2026 Dt-28.04.2026** जारी कर उक्त विषयक निर्णय को प्रभावी रुप दिया है।

4. **मुख्य मतदान अधिकारी (CHIEF POLLING OFFICER) व मतदान अधिकारी (POLLING OFFICER) --**

   प्रत्येक जिला के लिए 1 मुख्य मतदान अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे मुख्यालय के साथ–साथ समस्त तहसील के मतदान अधिकारी को आवश्यक मार्गदर्शन एवं आकस्मिक स्थिति पर बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश के चुनाव नियमों के अनुरुप निर्देश भी प्रदान करेगें। वह मतदान अधिकारी एवं बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश के मध्य सामंजस्य बनायेगें। मतदान अधिकारी अपने मतदान केन्द्र पर व्यवसायरत अधिवक्ता से मतदान सम्पन्न करायेंगे एवं आवश्यक पड़ने पर मुख्य मतदान अधिकारी से आवश्यक निर्देश प्राप्त करेगें।

5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसी ऐसे जिला मुख्यालयों मे जहाँ उनके अतिरिक्त एक से अधिक मतदान अधिकारियों की आवश्यकता है, वहाँ भी अन्य न्यायाधीशगणों को मतदान अधिकारी के रूप में प्रधान जिला न्यायाधीश की अनुमति से नियुक्त करने हेतु भी सक्षम रहेगें।

6. <u>मतदान सामग्री (मतदान पेटियां, मतदाता सूची व अन्य) –</u>

राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा चुनाव तिथि से प्रायः 7 दिन पूर्व जिला मुख्यालय एवं अधीनस्थ सिविल तहसीलों हेतु मतदान पेटियॉ चुनाव सूचियाँ एवं अन्य चुनाव सामग्री मुख्य मतदान अधिकारी (CPO) को प्रेषित की जायेगी। जिसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CPO) विशेष वाहकों द्वारा तहसील न्यायालयों के मतदान केन्द्र के मतदान अधिकारियों को प्रेषित कराएंगे। मुख्यालय में मतदान की प्रकिया संपन्न होने के बाद प्रत्येक तहसील विशेष के मतदान अधिकारीगण मत पेटियाँ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जिनका कि विवरण बाद में दिया जा रहा है, मुख्य मतदान अधिकारी को जिला मुख्यालय में प्रेषित कराएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार उन्हें प्राप्त जिला मुख्यालय एवं सभी तहसीलों की मतपेटियों एवं आवश्यक दस्तावेज को विशेष वाहक से मतदान तिथि के तीन दिनों के अंदर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को प्रेषित कराएंगे। मतपेटियों को जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय, मतदान के उपरान्त तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय से मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद में प्रेषित करने का संपूर्ण व्यय मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार वहन किया जायेगा।

7. <u>संपर्क –</u>

चुनाव प्रकिया से संबंधित किसी भी कार्य हेतु मुख्य मतदान अधिकारीगण अथवा मतदान अधिकारीगण, निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफीसर से निम्नांकित पते पर पत्राचार पर अथवा दूरभाष, फैक्स अथवा ई–मेल के माध्यम से संपर्क कर सकेगें –

श्री जस्टिस एस.के.पालो	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह बघेल	श्री दीपक अवस्थी	श्री प्रशांत दुबे
निर्वाचन अधिकारी	सहा. निर्वाचन अधिकारी –I	सहा. निर्वाचन अधिकारी –II	सचिव
मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद	मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद	मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद	हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी
उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर	उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर	उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर	उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर
दूरभाष कार्यालय– 0761 4700083	दूरभाष कार्यालय – 0761 4700083	दूरभाष कार्यालय – 0761 4700083	दूरभाष कार्यालय – 0761 4700083
मोबाईल–9425006060	मोबाईल–9425362951	मोबाईल–9425030909	मोबाईल–8889218558
ईमेल आई डीः– **sec.hpec@gmail.com**			

8. <u>मतदान केन्द्र स्थान–</u>

मतदान हेतु मतदान केन्द्र स्थान विशेष के न्यायालय परिसर में ही निर्मित किये जाने चाहिये जो सामान्यतः अधिवक्ता संघ के कक्ष, न्यायालय के कक्ष या अन्य ऐसे कक्ष हो सकते है जो प्रभारी मतदान अधिकारी के अनुसार उचित हों। ऐसे कक्षों को मतदान केन्द्र बनाये जाने संबंधित अधिसूचना प्रभारी मतदान अधिकारी मतदान के 5 से 6 दिनों पूर्व जारी करेगें एवं ऐसी सूचना, सूचनापटल पर भी चस्पा कराएगें। इस प्रकार की सूचना की एक प्रति स्थान विशेष पर कार्यरत अभिभाषक संघ के अध्यक्ष/सचिव को भी देगें । यदि किसी स्थान विशेष पर उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ भी कार्यरत् है, तो ऐसी अधिसूचना की एक प्रतिलिपी प्रभारी मतदान अधिकारी उस उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव को भी प्रेषित करेगें।

9. <u>मतदान प्रकोष्ठ व फर्नीचर</u> –

मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में मतदान प्रकोष्ठ (Voting Cubicle) निर्मित किये जाने चाहिये। प्रत्येक मतदान प्रकोष्ठ (Cubicle) में एक टेबिल एवं एक कुर्सी होनी चाहिये, जहॉ मतदाता अपना मतदान सुचारू रूप से कर सकें।

10. प्रत्येक मतदान प्रकोष्ठ (Voting Cubicle) को इस प्रकार सुरक्षित किया जाना चाहिये जिससे मतदान की गोपनीयता भंग न हो। इसके लिये पर्दे लगाकर मतदान प्रकोष्ठ को सुरक्षित किया जाना चाहिये। प्रत्येक दो मतदान प्रकोष्ठ के बीच भी पर्याप्त अंतर होना चाहिये।

11. <u>मतदान कार्यवाही की सहायता हेतु अन्य न्यायालीन कर्मचारियों की नियुक्ति –</u>
चुनाव तिथि पर विविध कार्यो हेतु एवं मतदान प्रक्रिया के सुचारु संचालन हेतु मुख्य मतदान अधिकारी अथवा जिले के मतदान अधिकारी ऐसे न्यायालीन कर्मचारियों/व्यक्तियों को प्रधान जिला न्यायाधीश की अनुमति से नियुक्त कर सकते हैं।

12. <u>मतदान प्रक्रिया प्रांरभ –</u>
मतदान प्रक्रिया प्रांरभ होने के पूर्व प्रभारी मतदान अधिकारीगण यथा संभव रुप से उपस्थित कोई भी दो साक्षी के समक्ष राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा प्रेषित चुनाव पेटी पर ताला लगवाकर, ताले को बेन्डेज पट्टी से लपेटकर उसे सील कराएंगें एवं आदेशिका पत्र में इस तथ्य का उल्लेख करेगें।

13. मतदान प्रक्रिया के सुचारु संचालन हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र से पर्याप्त दूरी में दो ऐसे व्यक्ति मतदाता सूची लेकर पृथक से बैठेंगें, जहाँ से मतदाता अपने नाम की पर्ची जिस पर पदस्थ किये गये न्यायालीन कर्मचारी के हस्ताक्षर भी होगें को लेकर मतदान केन्द्र में जायेगें एवं पर्ची के आधार पर मतदान केन्द्र हेतु दी गई सूची में प्रभारी मतदान अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर कर उनसे मतपत्र प्राप्त कर मतदान कर सकेगें।

14. मतदान प्रक्रिया के प्रांरभ होने के पूर्व मतदान अधिकारी परिषद द्वारा पृथक से दिये गये सेम्पल मतपत्र मतदाताओं की जानकारी हेतु नोटिस बोर्ड में तथा मतदान केन्द्र के समीप चस्पा कराएंगे।

15. प्रत्येक <u>5</u> सौ अधिवक्ताओं के लिये पृथक मतदान केन्द्र होना चाहिये और प्रत्येक ऐसे मतदान केन्द्र में कम से कम <u>20</u> चुनाव प्रकोष्ठ (Cubicle) निर्मित किये जाने चाहिये । प्रदत्त की जाने वाली टेबिल का टॉप ऐसा होना चाहिये जिस पर वरीयता देने संबंधी लेखन कार्य सुगमता से किया जा सके आवश्यकता हो तो टेबिल पर पुराने अखबारों का बेस भी बनाया जा सकता है।

16. मतदान केन्द्र में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी आवश्यक रूप से की जानी चाहिये जिससे मतदाता को असुविधा न हो।

17. <u>मतदाता परिचय पत्र –</u>
मतदान प्रक्रिया की अवधि में प्रत्येक मतदाता को प्रभारी मतदान अधिकारी के निर्देश पर राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा या जिला/तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाना आवश्यक होगा और ऐसा नहीं किये जाने पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा मतदाता को पहचान करानी होगी।

18. सुचारु मतदान प्रक्रिया के संदर्भो में प्रभारी मतदान अधिकारी अपने स्वयं के निर्णय के अनुसार यदि वे उचित समझे तो पहचान के संबंध मे विवाद न हो तो उस अधिवक्ता को मतदान में भाग लेने हेतु अनुमति दे सकते है।

19. <u>मतदान सूची –</u>
मतदान सूची बैलेट बॉक्स के साथ प्रत्येक मतदान केन्द्र के मतदान अधिकारी को भेजी जायेगी।

20. <u>पुलिस, पेयजल एवं चिकित्सा सहायता–</u>
मतदान केन्द्रो से 200 गज की परिधि में किसी चुनाव प्रत्याशी अथवा उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जाये और चुनाव प्रकिया निर्विघ्न संपन्न हो, इस हेतु प्रभारी मतदान अधिकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग ले सकते है।

21. मतदान केन्द्र में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुये पेयजल की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। साथ में पर्याप्त टेंट एवं कूलर आदि की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।

22. मतदान केन्द्र में संबंधित जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रखना आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की विषम परिस्थितियाँ न हो इसलिए एक चिकित्सा दल को मतदान केन्द्र में ड्यूटी लगाई जावें।

23. मतदान की अवधि प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। यदि शाम 5 बजे तक मतदाता मतदान केन्द्र में उपस्थित है तो उन सभी को मतदान का अवसर दिया जाये। मतदान की प्रकिया निरंतर चलती रहेगी। मध्यान्ह अवकाश नहीं होगा बल्कि मुख्य मतदान

अधिकारी/मतदान अधिकारी स्वयं की सुविधानुसार, मतदान प्रक्रिया में लगे अधिकारी/कर्मचारी बारी–बारी से भोजन के लिये जा सकेगें।

24. किसी भी मतदाता का मत पत्र खराब होने पर दोबारा मतपत्र दिये जाने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार मात्र प्रभारी मतदान अधिकारी को होगा। इस स्थिति में खराब हो चुके मतपत्र को मतदान अधिकारी के पास जमा करना होगा, जो कि पृथक से मतपेटी के साथ निर्वाचन अधिकारी को भेजना होगा।

25. चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात् मतदान पेटी की लिस्ट की पट्टिकाओं को ट्विन धागे से सिल कर उस पर सील लगाई जाये और सील करने के लिये प्रभारी मतदान अधिकारी अपनी न्यायालीन मुहर का उपयोग करें।

26. सभी आवश्यक दस्तावेज, वोटिंग पेपर एकाउन्ट, मतदान केन्द्र की मतदाता सूची पृथक लिफाफों में सील की जाये और उन्हें चुनाव सामग्री के साथ दी जाने वाली प्लास्टिक थैली में रखकर थैली को ठीक तरह से टेप से चिपका दिया जाये।

27. तत्पश्चात चुनाव सामग्री के साथ दी गई टाटफट्टी बारदाना, फट्टी में मतपेटी एवं एक प्लास्टिक थैली में बची हुये एवं खराब हुये मतपत्र तथा मतदान सामग्री, एवं डी फार्म एक लिफाफे में रखकर सीलबंद किया जाये। इस प्रकार सील बंद की गई मतपेटी पर प्रेषक स्थान के मतदान अधिकारी का पता एंव प्रेषित स्थान के निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद, उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर का पता अंकित कर मतपेटी जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को किसी विशेष वाहक द्वारा प्रेषित करायेगें। इस प्रकार सभी तहसीलों एवं जिला मुख्यालयों की सील बंद पेटियाँ जिले के प्रभारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसी विश्वसनीय न्यायालीन कर्मचारी/सुरक्षा बल के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर को प्रेषित करेगें।

28. <u>व्यय राशि–</u>
मतदान तिथि में मतदान केन्द्रों पर होने वाले व्यय एवं मतपेटिकाओं को लाने ले जाने संबंधी समस्त व्यय राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा वहन किये जायेगें ।

28/04/2026

न्यायमूर्ति एस.के.पालो (पूर्व न्यायधीश)
निर्वाचन अधिकारी
मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद

न्यायमूर्ति एस. के. पालो (पूर्व न्यायाधीश)
निर्वाचन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद

प्रतिलिपिः–

1. समस्त मुख्य मतदान अधिकारी
2. समस्त मतदान अधिकारी
   जिला एवं तहसील मुख्यालय मध्य प्रदेश

28/04/2026

न्यायमूर्ति एस.के.पालो (पूर्व न्यायधीश)
निर्वाचन अधिकारी
मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद

न्यायमूर्ति एस. के. पालो (पूर्व न्यायाधीश)
निर्वाचन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद